श्री भैरों सिंह शेखावत : राजस्थान में कहीं चले जाइए गेहूं मिल जाएगा, चावल मिल जाएगा परन्तु ग्वार नहीं मिलेगा ।

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: I think the solution is, as I said, in the manufacture of cattle fodder on a large scale. *Gawar* actually is for industrial usage. Now it is being used by cattle owners. There are certain difficulties about it.

श्री भैरों सिंह शेखावत : आप रिजर्वेशन कर लीजिए । क्योंकि साग का सारा ग्वार मिल्क बनाने के लिए चला जाता है और लोगों को नहीं मिल रहा है । सबसे बड़ी डिफिकल्टी पशुपालन के सामने ग्वार की आ रही है ।

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: I do not know; I am not very clear whether easy solution can be found out. I can only go into the matter but I do not know whether any solution is possible. About slaughter of good cattle, in some of the cities, 'Operation Flood' was actually intended to provide part of the solution to the problem. If good prices are paid in the rural areas for the milk, then naturally it will become very difficult for cattle owners to maintain cattle in big cities and I think that should be our approach. If cities are flooded with milk which is provided through Government agencies and through Government dairies, then this cattle concentration in big cities will get reduced in times to come and that is the approach of the Government of India in regard to this matter.

I am sorry I shall not be in a position to say anything on the Cow Protection Committee. That is not relevant to this question. If some particulars in regard to the individual and the location of the cow herd are given, I shall be thankful about it.

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल : उपाध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । अगर मंत्री जी के पास आंकड़े हों तो वह बताएं कि हमारे देश में जो दूध का उत्पादन होता है उसकी कंजम्पशन शहरों में कितनी है और गांवों में कितनी है और क्या मंत्री महोदय इस बात पर विचार करेंगे कि जहां दूध उत्पादन होता है वहां के बच्चों को दूध पर्याप्त मात्रा में मिले ?

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: I have not got the figures of cities and rural areas. The per head availability in the country is about 110 grams but in certain States like Punjab, Haryana, West U.P., it is higher. In some States in the South, like Kerala and Tamil Nadu, it is lower.

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : 1968-69 में 118 था अब घट कर 110 हो गया?

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: Yes, it has come down. It was even higher earlier. But I do not have the break-up for the cities and for the rural areas with me. If some studies have been made on this, I shall be able to provide the information but I do not think studies have been made in regard to this.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B RAJU) : Calling Attention is over. Now special mentions. Yes, Mr. Ramkripal Sinha.

REFERENCE TO VISIT OF THE SOVIET TELEVISION TEAM TO THE BIHAR ASSEMBLY

DR. RAMKRIPAL SINHA (Bihar): Sir, in Bihar, for the last several months, we have been witnessing unprecedented scenes. Only yesrerday, in the Bihar Assembly, another unprecedented event took place. A team of the Delhi Bureau of Soviet Television led by Shri Bitilia Ilyashenko entered the precints of the Assembly, entered the House and then started fixing up their television cameras for taking snaps inside the House. This is something unprecedented. Nowhere either in the Parliament

[Dr. Ramkripal Sinha]

or in any of the State Assemblies in India, do we permit even Indian Press to take snaps inside the House. How is it that a foreign team, a team from a foreign Embassy comes inside the Bihar Assembly and starts taking snaps? When the Speaker came and the other members raised this question, the statement of the Speaker was —it is very revealing, Sir—that it was done at the behest of the Central Government. The Central Government gave permission to this team to visit Bihar Assembly. Now this is very serious that this permission was granted and I would like to know through you, Sir, how it was done. The Minister concerned, Minister of Parliamentary Affairs should have been present here.

He should tell us and tell the House as to who is the Minister responsible for sending this team, whether it is the Home Ministry, Ministry of Information and Broadcasting or Ministry of Parliamentary Affairs, infringing upon the rights, conventions and practices of our parliamentary democracy. This is a very serious matter. A foreign team is going inside and when the members protested and ordered for the seizure of the camera, it was said after some time that the camera was returned. The point is members have said that they took snaps, but after some time they said that no snaps were taken. I have serious doubts and this is a problem for serious enquiry as well. A foreign country is involved and then also the Speaker of the Bihar Assembly is involved. The matter is very intricate. This is also something unprecedented in the history of Indian Parliament.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): Yes, you have made your point.

DR. RAMKRIPAL SINHA: So, Sir, I would suggest that the whole facts should be brought before this House. The Chairman and leaders of opposition of this House plus the Speaker of the Bihar Assembly should form a committee to probe as to which are the Ministries involved. All these things should be placed before the House and also whether photographs were taken or not. For this enquiry a committee composed of the Speaker of the Bihar Assembly, the Chairman of this House and members of the opposition parties should be formed. This is my suggestion.

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI I. K. GUJRAL): Sir, the Chief of Bureau of the Soviet Radio and Television, who is accredited to the Government of India, made a request to the Press Information Bureau on the 2nd December, 1974 for facilities to take some shots of the Bihar Legislative Assembly as one of the sequences of his film on Bihar. He made it clear that he did not want any shots of the proceedings of the House. This request was transmitted to the appropriate authority in the Secretariat of the Bihar Assembly for such action as might be deemed fit and proper, that Secretariat being the only authority for deciding this matter. It appears from the newspaper reports that the television team was allowed to take some shots, but not in the Assembly Chamber.

We have issued instructions, however, for the detention of the film. The film will be allowed to go out of the country only if we are satisfied that it does not contain anything objectionable or against the parliamentary traditions and practices of the Bihar Assembly.

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अब यह केवल मैंनशन का सवाल नहीं रह गया है, यह कालिंग एटेंशन हो गया है। अगर आप आज के मेरे पत्रों को देखें तो आपको पता चलेगा कि मैंने इस विषय पर मैंनशन और कालिंग एटेंशन दोनों दिये हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार विधान सभा में जो घटना घटी है वह विधान सभा की स्वतंत्रता और उसकी सार्वभौमिकता को नष्ट कर देती है। यह सिर्फ इतना सा सवाल नहीं है कि इसका यहां पर जवाब दे दिया जाय। मैं यह

कहना चाहता हूं कि यह सरकार इस देश की आजादी को रूस के हाथों में बेचने जा रही है। इसका ज्वलन्त उदाहरण यह है कि केन्द्रीय सरकार बिहार विधान सभा के स्पीकर को और बिहार सरकार को कहती है कि रूसी टी. वी. कैमरा मैन को अन्दर जाने दो . . . .

(Interruptions)

उप-सभाध्यक्ष (श्री वी. बी. राजू) : अब आप खत्म कीजिये। मंत्री महोदय ने ये बातें बता दी हैं।

श्री राजनारायण : हमने भी इस बारे में टेलीफोन से जानकारी प्राप्त की है। मंत्री जी ने जो बातें बताई हैं उसमें उन्होंने सत्य को छिपाया है। मैं आपको सही बात बता रहा हूं। सत्य यह है कि कैमरे की पूरी की पूरी फिल्म वापस ले ली गई है और अब ये कहते हैं कि उसको रोक दिया गया है।

हरिनाथ मिश्र ने बहुत ही सफाई से यह कहा है कि हमने जो कुछ यह किया केन्द्र के निर्देशन में किया, तो क्या केन्द्र किसी विधान सभा को आदेश कर सकता है, क्या किसी सरकार को कह सकता है कि तुम रूसी कैमरावालों को वहां जाने दो और वहां जाकर फिल्माओ। यह सवाल आज जो देश में उत्पन्न हुआ है बहुत गंभीर समस्या है, यह हमारे राष्ट्र की प्रभुसत्ता और राष्ट्र की स्वाधीनता का सवाल है, संसद् की प्रतिष्ठा का सवाल है, पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी का सवाल है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा इस पर फुल डे डिस्कशन होना चाहिए। इस सरकार ने रूस की दलाली की है और इसके हाथ में हमारी आजादी को बेचने का प्रयास किया है इसलिए मैं अपनी आवाज को उठाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं आपके द्वारा देश की जनता से कि देश की जनता अपनी आंख खोले, यह सरकार धीरे-धीरे संसदीय प्रणाली का नाश करके रूसी व्यवस्था को, रूसी प्रणाली को एक पार्लियामेंटरी कवर के अन्दर लाकर तानाशाही करना चाहती है। यह तानाशाही का सबसे बड़ा सबूत है।

श्री लाल आडवाणी : उपसभाध्यक्ष जी, इसमें कोई सन्देह नहीं कि संसदीय परंपरा का हनन हुआ है लेकिन श्री गुजराल ने जो वक्तव्य दिया है वह बिहार विधान सभा के अध्यक्ष ने जो वक्तव्य दिया है उसके परस्पर-विरोधी है। इस कारण मैं पहले पहल यह निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि सोवियत एजेंसी के साथ जो भी पत्र-व्यवहार हुआ है सरकार का—आपने जो उल्लेख किया है कि हमने अमुक अमुक अनुमति दी, अमुक-अमुक अनुमति नहीं दी—मैं समझता हूं वह पत्र-व्यवहार हमारे सामने आना चाहिए।

दूसरी बात मैं इस मामले को गंभीर मानता हूं न केवल संसदीय परंपरा के हनन के नाते बल्कि इस नाते भी मानता हूं कि सोवियत रूस बिहार के आंदोलन के बारे में एक दृष्टिकोण अपनाए हुए है कि हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। पिछले दिनों में 'प्रावदा' के अंदर श्री जय प्रकाश नारायण के खिलाफ जिस प्रकार का जेहाद छेड़े हुए है मैं समझता हूं हमारे आंतरिक मामलों में सोवियट रशिया को इस प्रकार का दखल देने का कोई अधिकार नहीं है और केन्द्रीय सरकार द्वारा सोवियत टेलिविजन एजेंसी को यह अनुमति देना कि तुम जाकर के फिल्म तैयार करो बिहार में, जिस फिल्म को तैयार करने में संसदीय परंपराओं का भी हनन होने दें, मैं समझता हूं यह केन्द्र सरकार के लिए अत्यंत निंदनीय बात है, यह प्रचार करना है। आल इंडिया रेडियो हमारे खिलाफ प्रचार कर रहा है, ज्यप्रकाश जी के खिलाफ प्रचार कर रहा है लेकिन अब इस प्रचार में रूस की भी जो यहां की प्राइवेट एजेंसी है उनको उपयोग में लाकर इस आन्दोलन के खिलाफ जेहाद छेड़ा हुआ है। इससे ज्यादा गलत बात कोई नहीं हो सकती। दोनों दृष्टियों से मैं समझता हूं जितना पत्र-व्यवहार इस बारे में हुआ है वह इस सदन में आना चाहिए। इस पर पूरी चर्चा हो।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): Do you want to add anything?

SHRI I. K. GUJRAL : Yes, Sir. One or two things I might clarify which I tried to clarify in my earlier statement also.

श्री रबी राय (बिहार) : गुजराल साहब आप एक बात क्लेरिफाई करिए कि आपने जो पहले बयान दिया—तो आपके जरिए आना था कि इस तरह की परमिशन नहीं दे सकते हैं। ट्रांसमिशन कैसे कर दिया ?

श्री राजनारायण : श्रीमान्, मंत्री जी का केवल जवाब सुनकर ही आप संतुष्ट न हों; अब सवाल आएगा कि रूस ने केन्द्र की सरकार से क्या कहा था ; उसका जो खत है वह रखा जाए। मंत्री जी ने जो कहा उसमें बकायदा हरिनाथ मिश्र ने जो बात कही वह तमाम बातें मंगाई जाएं।

(Interruption)

श्री रबी राय : इस पर विशेष चर्चा की इजाजत दीजिए। बहुत अहम सवाल है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): It should come in the proper form.

श्री आई. के. गुजराल : उप-सभाध्यक्ष जी, राजनारायण जी सारे दिन गरम रहते हैं लेकिन बाकी मेम्बरान भी इतनी जल्दी बिना सुने तैश में आ जाएं-अच्छी बात नहीं है। अर्ज यह थी कि जैसा मैंने शुरू में कहा कि यहां पर जो हमारा पी. आई. बी. का सेट-अप है उसमें हमारा तरीका यह है कि एक हमारे फैसिलिटी आफिसर हैं, उनका यह काम है कि जितने यहां बाहर के गा देश के एक्रीडिटेड कारेस्पांडेंट्स हैं, चाहे वे अखबार के कारेस्पांडेंट्स हों, टी. वी. या रेडियो के कारेस्पांडेंट्स हों उनको जो सुविधाएं और दूसरी सहूलियतें ये दिला सकें उस फैसिलिटी आफिसर से मांगते हैं और फैसिलिटी आफिसर जहां कहीं होता है यह कोशिश करता है मदद करने की। *(Interruptions)* यह जो चीफ आफ द ब्यूरो आफ सोवियट रेडियो एण्ड टेलीविजन के एक्रीडिटेड कारेस्पांडेंट्स हैं हिन्दुस्तान में उन्होंने फैसिलिटी आफिसर को अप्रोच किया कि वे अपनी कमेंट्री बना रहे हैं बिहार के मुताल्लिक, वे बिहार की असेम्बली की बिल्डिंग का और जो मेम्बर अंदर आ रहे हैं उस सबकी तस्वीर लेना चाहते हैं। फैसिलिटी आफिसर ने सिर्फ यह किया कि उनकी वह रिक्वेस्ट को असेम्बली सेक्रेटेरिएट को ट्रांसमिट कर दिया। सरकारे हिन्द के किसी आफिसर को इस बात का हक है कि वह किसी भी स्टेट बिल्डिंग में किसी के जाने का यहां से पर्मिट दे सकें, जैसे पार्लियामेंट के अंदर भी उप-सभापति जी, हमें कोई हक नहीं है सरकार की तरफ से कि पार्लियामेंट के अंदर कौन जाए कौन नहीं ; इसमें चेयरमैन साहब या स्पीकर साहब को हक है, हमारा हक नहीं है।

उसी तरह से किसी असेम्बली की जो सावरेनिटी है जो वहां की पावर है, वह वहां का जो स्पीकर है, उस पर रेस्ट करती है। जो हमारी तरफ से किया गया है वह सिर्फ यह किया गया है कि हमारे पास फैसिलिटी आफिसर ने जो रिक्वेस्ट भेजी थी, वह हमने वहां भेज दी। वह टीम वहां गई और उन्हें फिल्म लेने की इजाजत दे दी गई। सिर्फ इस बात के लिए कि वे मेम्बरों के आने जाने के वक्त की फिल्म बना सकें। जहां तक मैंने अखबार में पढ़ा मुझे ऐसा लगा कि जब स्पीकर ने यह देखा कि किसी न किसी तरह की गलती से या इस इम्प्रेशन से कि वे लोग चैम्बर की भी तस्वीर ले रहे हैं, तो उनको तस्वीर लेने से रोक दिया गया और रोक देने के बाद कोई तस्वीर नहीं ली गई। यह स्पीकर साहब ने कहा और इसके बाद उनका कैमरा रोक दिया गया। कैमरा रोकने के बाद उन्होंने अपनी तसल्ली कर के कैमरे को वापस कर दिया। लेकिन जिस बात के ऊपर मेरा ज्यादा जोर है वह यह है कि जैसे ही हमारे नोटिस में यह बात आई कि वहां पर इस तरह की घटना घटी है, हमने यह किया कि चाहे बिहार वालों को तसल्ली हुई है या नहीं, स्पीकर को तसल्ली हुई है या नहीं, उन्होंने स्पीकर साहब को कैमरा वापस किया या नहीं किया, इन सब बातों का बिना लिहाज किये हमने गवर्नमेंट आर्डर इश्यू कर दिया कल शाम ही कि कोई भी फिल्म बनाकर आयेगी, वह यहां से बाहर नहीं जा सकेगी जब तक कि हम उस फिल्म को न देख लें। फिल्म को इम्पाउन्ड करने के आर्डर कस्टम आथारिटिज को दे दिया गया है। कल शाम ही और इसीलिए फिल्म बाहर नहीं गई और न ही जाने दी जायेगी जब तक कि इस बात की तसल्ली न हो जाय कि कोई भी ऐसा

चित्र, कोई भी ऐसी तस्वीर जिसमें असेम्बली के किसी विशिष्ट अधिकारों या किसी खास अख्तियार या ट्रेडिशन का उल्लंघन हुआ हो ।

One thing I might clarify that nobody in the Government, including the Minister or anybody, has any right to give any directive to the Speaker of any Assembly. That is one basic thing. Therefore the question of our giving any directive to any Speaker does not arise as we have no right or authority to give directive to the Speaker or the Chairman here. We know our limitations. We know how far we can go. The only thing that was done was that the D.P.I.O. transmitted the request.—he acted as post office—without making any comment, without any request. Only it was said that this was a request which had been received and it may be examined. As an abundant precaution orders to the Customs authorities were issued yesterday evening, the moment I learnt it, that the film shall not go out of India till we are satisfied that the film does not in any way contain anything objectionable or against the parliamentary. . . .

SHRI RABI RAY: Have you taken it in your custody?

SHRI I. K. GUJRAL: The film has not yet reached Delhi. It is still in Bihar. Orders have been issued. The Bureau of the Soviet T. V. and Film has been informed that the film has to be surrendered and we will satisfy ourselves. Sir I resume my seat by saying that we will see that it contains nothing which is either objectionable or is against parliamentary traditions or practices of the Bihar Assembly.

Sir, before I sit down I may submit that my friend, Mr. Rajnarain and other learned friends who have very long experience of parliamentary life, would kindly keep in mind that we should not consider the freedom of India so lightly as if such a small incident can bargain India's freedom. Sir, they and we are all Indians first before being anything else. And we are all strong enough. We are self-confident that we will protect our privileges.

श्री राजनारायण : वहां के स्पीकर ने कहा है कि प्रधान मंत्री और केन्द्र के हुकम पर यह इजाजत दी गई है ।

श्री आई. के. गुजराल : मुझे ऐसा मालूम नहीं है ।

श्री राजनारायण : यह सब बातें अखबारों में आई हैं । मैं उनको व्यक्तिगत तरीके से भी जानता हूं बिहार विधान सभा के अध्यक्ष को । वे इतने झूठे नहीं और इतने कमजोर भी नहीं हैं । उन्होंने गलती की कि केन्द्र के निर्देश को माना । उन्होंने अपने स्वाभिमान और संसदीय प्रणाली पर कुठाराघात किया । केन्द्र का आदेश होता तो भी हरिनाथ को कहना चाहिए था कि हम नहीं मानते ।

SHRI S. P. GOSWAMI (Assam): Sir, on a point of order. This matter was raised and the Minister has replied. It is not a subject of discussion, and whatever Rajnarain says should not be recorded because it is out of context and out of order. It is not a subject for discussion now.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): No further discussion. Let us end here.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (उत्तर प्रदेश) : मैं ज्यादा बहस में नहीं पड़ना चाहता ; मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि सूचना मंत्री जी ने जो यह बात कही है कि हमको अपने देश के वातावरण को इतना संकुचित नहीं कर लेना चाहिए जिससे दूसरा कोई आकर हमारे देश में किसी घटना की फिल्म न ले सके, उसे चित्रित न कर सके । बात इस प्रकार की नहीं है ।

श्री आई. के. गुजराल : मैंने यह नहीं कहा । मैं फिर कह दूं कि हमको अपने देश की आजादी को गुलाब की पंखड़ी नहीं समझना चाहिए कि जरा सी कहीं से हवा लगी और वह मुरझा जाएगी । हम इतने मजबूत हैं कि अपने देश की आजादी की रक्षा कर सकते हैं । दूसरे हमें इस बात का गौरव है कि देश में जो हमने समाज बनाया है, जिसे कहते हैं ओपन सोसाइटी, उसमें सिर्फ एक किस्म के लोग ही नहीं बल्कि हर

[श्री आइ. के. गुजराल]

किस्म के लोग समाचार और फिल्में बाहर भेजते हैं। अभी जिक्र हो रहा था कि प्रावदा में जय-प्रकाश जी के मुताल्लिक छपा। मुझे नहीं मालूम क्या छपा, क्या नहीं।

श्री राजनारायण : नही मालूम ?

श्री आई. के. गुजराल : आडवाणी जी कह रहे थे।

श्री राजनारायण : खूब छपा है। प्रावदा बिहार के आन्दोलन पर लिख रहा है प्रावदा भारतीय लोक दल पर लिख रहा है।

श्री आई. के. गुजराल : राजनारायण जी प्रावदा रेगुलरली पढ़ते हैं, मैं नहीं पढ़ता। इसलिए राजनारायण जी को मालूम होगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं एक बात कह देता हूं कि इसमें खफा होने की बात नहीं है। आज दुनिया के सारे अखबार इस एजीटेशन के ऊपर लिख रहे हैं, कोई अच्छा लिख रहा है, कोई बुरा लिख रहा है, अपने अपने नजरिए से लिख रहे हैं। ओपन सोसाइटी के फायदे नुकसान सब होते हैं। समाज को आप बन्द कर लीजिए, लोग आपके ऊपर नजर रखना बन्द कर देंगे। यह नुक्तेनजर नहीं रखना चाहिए कि जो आपके हक में लिखे वह तो ठीक है, लेकिन जो आपके खिलाफ लिखे उससे हिन्दुस्तान की आजादी को खतरा पैदा हो जाता है। आजादी को कोई खतरा पैदा नहीं हो सकता क्योंकि हमारी आजादी 54 करोड़ आदमियों के हाथों में महफूज है, मजबूत है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरा कहना बिलकुल भिन्न है। मैं इस बात के भी विरुद्ध हूं कि हमारे देश की गरीबी, हमारे देश की जलालत अमरीका, कनाडा, ब्रिटेन चित्रित करें, अपने टेलीविजन पर दिखाएं। जहां मैं इस बात के विरुद्ध हूं, वहां मैं इस बात के भी विरुद्ध हूं, कि हमारे देश में जो जन-आन्दोलन चल रहा है उसको रूस वाले टेलीवाइज करके अपने देश में दिखाएं। वहां किसी प्रकार का आन्दोलन नहीं है, सामान्य रूप से असेम्बली चल रही है, सामान्य रूप से विधान सभाएं चल रही हैं। इस बात के भी हम विरुद्ध हैं। हम संतुलित दृष्टिकोण रखना चाहते हैं। श्री गुजराल को याद होगा कि हमारे पार्लियामेंट के इतिहास में इस प्रकार की घटना हुई थी जब संविधान सभा प्रारम्भ हुई थी—क्योंकि देश आजाद हुआ था, पहली बार—उसके लिए विशेष रूप से अनुमति डा. सच्चिदानन्द सिन्हा ने दी और जब संविधान सभा समाप्त हुई तब उसके लिए भी विशेष अनुमति दी गई। यह बात सामान्य सी कह कर छोड़ी जाने वाली नहीं है। बिहार विधान सभा के चेम्बर में टेलीविजन का कैमरा आया। विधान सभा के अध्यक्ष यह कहते हैं कि केन्द्रीय सरकार के आदेश से मैंने ऐसा होने दिया। केन्द्रीय सरकार यह कह रही है कि हमने किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी। मेरा कहना यह है कि अगर रूस के ये कैमरामेन जिन्होंने बिहार विधान सभा की कार्यवाही को चित्रित करने की चेष्टा की, टेली-वाइज करने की चेष्टा की, अगर उन्होंने बिहार गवर्नमेंट को मिसरेप्रेजेंट किया, बिहार असेम्बली के स्पीकर को मिसरिप्रेजेंट किया तो इस प्रकार के प्रतिनिधि को भारत से निकालना चाहिए। केवल कैमरा जब्त करना और रील को छीनना पर्याप्त नहीं है। इस घटना की तह में जाना चाहिए। बिहार विधान सभा के अध्यक्ष यह कहते हैं कि केन्द्रीय सरकार के आदेश पर मैंने अनुमति दी जबकि गुजराल जी कहते हैं कि यहां से किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया गया। तो इसका अर्थ यह है कि आपका वह अधिकारी दोषी है जिसने आपको अन्धकार में रखा, बिहार असेम्बली के अध्यक्ष को अन्धकार में रखा। दोषी कौन है इसका पता लगना चाहिए और उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

SHRI I. K. GUJARAL: I am sorry that this discussion has unnecessarily taken a longer time than it should have. Prakash Virji has divided the issue into two parts. He chooses to call it a popular agitation with which I totally disagree because I do not think this agitation is either popular or widespread. Prakash Virji thinks that any foreign agency which depicts it as a normal condition should be stopped and any agency which depicts it as a popular movement should be encouraged. I think we cannot have two standards; we will have one standard.

Secondly, Prakash Virji said that the Speaker has made some statement. I think you will agree that it is neither good nor wise for any one of us to discuss what the Speaker may or may not have said without an authentic copy of his statement before us. And we do not have an authentic copy of his statement. Therefore, I would not like to discuss the Speaker's statement here. This is not done in Parliamentary life.

If somebody—whosoever he is, Indian or foreigner—has either crossed the authority of the Parliamentary permit given to him, or has not complied with the orders of the Speaker or has gone beyond the permission given by the Speaker. The Speaker can take whatever action against such a person because Speaker is independent authority. We are not going to interfere.

So far as I am concerned and so far as Government of India is concerned, I have categorically explained the position and I stand by every word of what I said and I have made that statement with all the responsibility.

DR. RAMKRIPAL SINHA: That is not the point. Has the Bihar Assembly Speaker been pressurised by the Central Government to take them inside the House. . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): We are not debating this issue now. You have raised a point for clarification and he has replied to it.

PERSONAL EXPLANATION BY SHRI RAJNARAIN

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मैं आप की विशेष आज्ञा से इस सदन में जो असत्य हमारे बारे में फैलाया जा रहा है उस का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं ।

श्री रणवीर सिंह (हरियाणा) : उप-सभापति जी, कोरम नहीं है ।

SHRI S. P. GOSWAMI (Assam): Without quorum, can he speak?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): The bell is ringing. The hon. Member can carry on. That is the practice of the House.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैंने चेयरमैन साहब को एक खत लिखा है जिसको मैं आपकी अनुमति से पढ़ देना चाहता हूं । यह इस प्रकार है : 'चेयरमैन, राज्य सभा, संसद भवन, नई दिल्ली । महोदय, गत 28 नवम्बर 1974 को राज्य सभा में करनाल में बाई पास के निकट जो जय प्रकाश जी की गाड़ी रोक कर भद्दे-भद्दे नारे लगाये गये थे, काले झंडे दिखाये गये थे और उनकी गाड़ी पर लाठियां मार रहे थे, आप की आज्ञा से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । उस अवसर पर मैं ने पानीपत करनाल और कुरूक्षेत्र का नाम लिया था, सोनीपत का नाम मैंने नहीं लिया था । मैंने उस अवसर पर यह भी कहा था कि मुख्य मंत्री श्री बंसी लाल जी के पुत्र श्री सुरेन्द्र भी घटनास्थल पर देखे गये थे ।

सत्ताधारी कांग्रेस की ओर से श्री सुलतान सिंह बोलने के लिए खड़े हुए थे । श्री सुलतान सिंह ने अपने भाषण में कहा था कि चौधरी बंसीलाल जी के पुत्र श्री सुरेन्द्र उस समय करनाल में नहीं थे भिवानी अदालत में उनकी हाजरी है । मेरे बार-बार कहने पर भी वे अपनी असत्य सफाई पर डटे रहे । प्रश्न उठता है कि श्री सुलतान सिंह जो भिवानी के रहने वाले नहीं हैं । सामान्यतः उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होनी चाहिए कि सुरेन्द्र सिंह भिवानी में थे या नहीं थे ।

मेरे भाषण के तत्काल बाद सुल्तान सिंह जी का यह कहना कि सुरेन्द्र सिंह भिवानी अदालत में थे, यह सिद्ध करता है कि श्री सुरेन्द्र सिंह ने कांग्रेस नेताओं की सलाह से पहले से ही पेश-बन्दी की थी अदालत में हाजिरी बनाकर जैसे कोई कातिल सुनियोजित कत्ल करने के पूर्व अपना अलीबाई बनाए रखता है । मैं श्री सुल्तान सिंह की बात पर स्तब्ध रह गया चूंकि मेरी पूरी जानकारी के बाद ही मैंने सुरेन्द्र सिंह का नाम लिया था । भारतीय लोक दल की कार्यकारिणी के सदस्य श्री सत्यपाल मलिक, एम.एल.ए. उत्तर प्रदेश, जो भारतीय लोक दल